जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 18.07.2024**

थाना नगीना पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये आभूषण, नगदी एवं अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

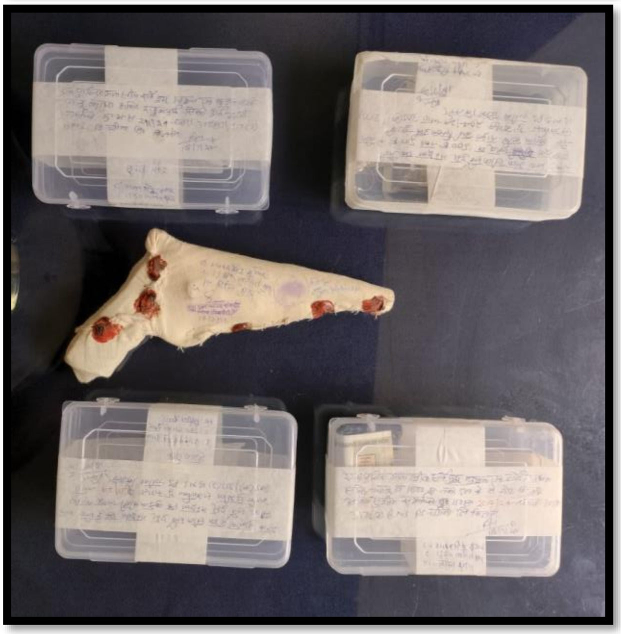

दिनांक 10.07.2024 को वादी श्री मोहित कुमार पुत्र श्री रामगोपाल निवासी ग्राम सैदपुरी महीचन्द थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 10.07.2024 को दोपहर के समय वादी के पिता व माता गांव में शादी समारोह में गये थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी के घर से अलमारी से नगदी एवं सोने/चांदी के आभूषण चोरी कर लिये। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 204/24 धारा 305 (ए) बी0एन0एस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 16.07.2024 को वादी श्री सूरज सिंह पुत्र श्री रामकिशन सिंह निवासी ग्राम सैदपुर महीचन्द थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि रात्रि में अज्ञात अभियुक्त वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी के सोते हुए कुन्डल चोरी करके के ले गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 211/24 धारा 305 (ए) बी0एन0एस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में अभियुक्तगण 1.सुशील पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पटपडा गांवडी थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.राहुल उर्फ सिप्ता उर्फ सुरती पुत्र सोमपाल 3.सोमपाल पुत्र हरपाल निवासीगण ग्राम भोकरहेडी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.07.2024 को थाना नगीना पुलिस उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.सुशील पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पटपडा गांवडी थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.राहुल उर्फ सिप्ता उर्फ सुरती पुत्र सोमपाल सिंह निवासी ग्राम भोकरहेडी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये एक जोडी कुण्डल (पीली धातु), एक जोडी हथफूल (सफेद धातु), एक जोडी पायल (सफेद धातु), 2,500 /- रुपये नगद तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोगों में धारा 317(2) बी0एन0एस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सुशील पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पटपडा गांवडी थाना नगीना जनपद बिजनौर
2.राहुल उर्फ सिप्ता उर्फ सुरती पुत्र सोमपाल सिंह निवासी ग्राम भोकरहेडी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी –

एक जोडी कुण्डल (पीली धातु)

एक जोडी हथफूल (सफेद धातु)

एक जोडी पायल (सफेद धातु)

2,500 /- रुपये नगद

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 380/411 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर

2.मु0अ0सं0 98/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर

3.मु0अ0सं0 81/23 धारा 323/392/411 भादवि थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर

4.मु0अ0सं0 204/24 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस थाना नगीना जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 211/24 धारा 305(ए)/ 317(2) बी0एन0एस थाना नगीना जनपद बिजनौर

अभियुक्त सुशील का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 204/24 धारा 305 (ए)/317(2) बी0एन0एस थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 211/24 धारा 305 (ए)/ 317(2) बी0एन0एस थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सरवेज खां थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री अमूल कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 730 विपिन थाना नगीना जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 18.07.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.1993 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त हरपाल उर्फ पाले पुत्र घसीटा निवासी ग्राम सीकरी बुजुर्ग थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 89/1993 धारा 368 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त हरपाल उर्फ पाले पुत्र घसीटा निवासी ग्राम सीकरी बुर्जुग थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- हरपाल उर्फ पाले पुत्र घसीटा निवासी ग्राम सीकरी बुजुर्ग थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 18.07.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शिवाला कलां	लक्ष्मी पत्नी फूल सिह निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
2	शिवाला कलां	विनित कुमार पुत्र फूल सिह निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
3	अफजलगढ़	बृजपाल त्यागी पुत्र यशपाल त्यागी निवासी ग्राम महेन्द्रनगर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
4	धामपुर	शरीफ अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5	धामपुर	विजय कुमार पुत्र मुन्ना सिंह निवासी रानी बाग कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

थाना शिवाला कलां

थाना अफजलगढ़

थाना धामपुर

थाना धामपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल **दिनांक – 18.07.2024**

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 124/2024 धारा 69/115(2)/351(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना नांगल जनपद बिजनौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त संजीव पुत्र पप्पू निवासी मौ0 काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर के द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया गया तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.07.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संजीव पुत्र पप्पू निवासी मौ0 काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संजीव पुत्र पप्पू निवासी मौ0 काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सोनू कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

2.का0 1074 राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ **दिनांक – 18.07.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण / विक्रय / परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.प्रीतम सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवड़ी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर व 2.कुलदीप पुत्र नन्दा सिंह निवासी ग्राम कुंआखेडा खदरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 20 – 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 241/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम प्रीतम व मु0अ0सं0 242/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम कुलदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.प्रीतम सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवड़ी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

2.कुलदीप पुत्र नन्दा सिंह निवासी ग्राम कुंआखेडा खदरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त प्रीतम का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 242/2018 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 06/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.हे0कां0 761 नेम सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.कां0 1870 मुनेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.कां0 2521 सचिन कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

4.कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।